



ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು
ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಡುಗಳ ವಿಭಾಗ

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
प्रधान कार्यालय, बंगलूर
शेयर एवं बांड विभाग

STATE BANK OF MYSORE
HEAD OFFICE, BANGALORE
SHARES & BONDS DEPARTMENT
Ph. 22252184, Fax-22370284

SBM/S&B/Merger/

23.02.2017

The Deputy General Manager,
Bombay Stock Exchange Ltd.,
Corporate Relations Dept.,
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Bldg, P.J.Towers,
Dalal Street, Fort,
MUMBAI-400 001.

The Vice President,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E)
MUMBAI-400 001.

Dear Sir,

Sub: **SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**
Acquisition of State Bank of Mysore (SBM), by SBI

Further to our letter No. SBM/S&B/Merger dated 16.02.2017 on the captioned subject and in terms of Regulation 30 of the Listing Regulations; we advise that the Government of India has issued the following Order dated 22nd February 2017, under sub-section (2) of Section 35 of the State Bank of India Act, 1955.

Acquisition of State Bank of Mysore Order, 2017

In terms of the said Order, the entire undertaking of State Bank of Mysore (SBM) shall stand transferred to and vested in the State Bank of India from 1st April 2017.

We submit herewith a copy of the Order which has been published in the Gazette of India on 23rd February, 2017.

Kindly take the same on record.

Yours faithfully,

(George Thomas)
Deputy General Manager (F&A)

ENCL: As above



आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 158 (अ).— भारतीय स्टेट बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरिती बैंक कहा गया है) ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के साथ रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात् स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरक बैंक कहा गया है) के कारबार को समामेलन द्वारा, जिसके अंतर्गत उसकी आस्तियां और दायित्व भी है, अर्जित करने के लिए परक्रामण किया है।

एवम, स्कीम के प्ररूप में, अंतरिती बैंक के केन्द्रीय बोर्ड और अंतरक बैंक का बोर्ड अर्जन से संबंधित निबंधनों और शर्तों पर सहमत हो गए हैं।

एवम, अंतरक बैंक और अंतरिती बैंक द्वारा करार पाए गए ऐसे अर्जन से संबंधित निबंधनों और शर्तों का अनुमोदन रिजर्व बैंक ने कर दिया है उसकी मंजूरी के लिए उसे केन्द्रीय सरकार को अग्रसारित कर दिया गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश द्वारा अपनी मंजूरी प्रदान करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्टेट बैंक ऑफ मैसूर अर्जन आदेश, 2017 है।

(2) यह आदेश 1 अप्रैल, 2017 को प्रभावी होगा। (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रभावी तारीख कहा गया है)

2. प्रभावी तारीख से ही अंतरक बैंक के उपक्रम, जो इस आदेश की प्रभावी तारीख से पहले थे, किसी और कृत्य, लिखत या विलेख के बिना, अंतरिती बैंक को अंतरित और निहित हो जाएंगे।

3. प्रभावी तारीख से ही अंतरक बैंक का उपक्रम जो अंतरिती बैंक को अंतरित हो गया है और निहित हो जाएगा उसके अंतर्गत, सारे कारबार, आस्तियां, अधिकार, शक्तियां, प्राधिकारी, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञापत्र, अनुमोदन, अनुज्ञा, सहायकी, रियायत, अनुदान, स्वातंत्र्य, प्रोत्साहन, ऋण, विशेष प्रास्थिति और विशेषाधिकार तथा सारी संपत्ति अर्थात् जंगम और स्थावर, पूर्ण स्वामित्व और निजी, मूर्त और अमूर्त, गुडविल, प्रतिलिप्याधिकार, कब्जे और आरक्षित में की बौद्धिक संपत्ति के अधीन सभी अधिकार, किसी प्रकृति की और कहीं भी अवस्थित विद्यमान या आकस्मिक संपत्ति, जिसके अंतर्गत भूमि, भवन, जिसमें वाणिज्यिक और निवासीय संपत्ति भी है, फिक्सचर, यान,

नकद अतिशेष, निक्षेप, विदेशी मुद्रा, प्रकट और अप्रकट आरक्षितियां, आरक्षित निधि, विशेष आरक्षित निधि, हितकारी आरक्षित निधि, कोई अन्य निधि, स्टाक, विनिधान, शेयर, लाभांश, बंधपत्र, डिबेंचर, प्रतिभूति, किसी औद्योगिक समुत्थान का प्रबंध, ऋण, अग्रिम और औद्योगिक समुत्थान को दी गई प्रत्याभूतियां, अन्य अभिधृतियां, पट्टे और बही-ऋण तथा ऐसी संपत्ति से उद्भूत होने वाले ऐसे सभी अन्य अधिकार और हित जो कि भारत के भीतर या बाहर प्रभावी तारीख से ठीक पहले अंतरक बैंक के स्वामित्व, कब्जे या शक्ति में थे, लेखा-पुस्तकें, रजिस्टर, अभिलेख तथा इससे संबंधित दस्तावेज और इसके अंतर्गत सभी उधार, दायित्व भारत के भीतर या बाहर अंतरक बैंक के पास तब अस्तित्वशील किसी भी प्रकार की , प्रतिभूत सहित या रहित ,किसी भार ,विल्लंगम,धारणाधिकार या प्रतिभूति, भी समझी जाएगी ।

4. प्रभावी तारीख से तंतु पहले अस्तित्वशील सभी संविदा, विलेख, बंधपत्र, प्रत्याभूति, मुख्तारनामा, किसी भी प्रकृति का अन्य लिखित और प्रभावी तारीख से ठीक पहले अस्तित्वशील काम करने के बारे में ठहराव अंतरिती बैंक के विरुद्ध या पक्ष में पूर्ण रूप से इस प्रकार प्रवर्तनीय और प्रभावी होंगे मानो कि अंतरक बैंक के स्थान पर अंतरिती बैंक को इसमें नामित किया गया है या वह उसका पक्षकार है और इस पैरा के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए किसी तीसरे पक्षकार या अन्य व्यक्ति, जो पूर्वोक्त लिखतों या समझौतों का पक्षकार है, की सम्मति की आवश्यकता नहीं होगी ।

5. अंतरक बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध, प्रभावी तारीख से ठीक पहले, किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी (जिसके अंतर्गत शंकाओं के निवारण हेतु माध्यथम् अधिकरण भी है) के समक्ष लंबित या विद्यमान कोई कार्यवाही, वाद-हेतुक, वाद, डिक्री, वसूली प्रमाणपत्र, अपील और सभी अन्य विधिक कार्यवाहियों को प्रभावी तारीख से अंतरिती बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध चलाया गया या प्रवृत्त किया गया माना जाएगा जिसमें इस आदेश द्वारा अंतरक बैंक को अंतरिती बैंक में निहित कर दिया गया है और यदि यह आदेश प्रवृत्त नहीं होता तब अंतरक बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध ये कार्यवाहियां प्रवर्तित होती और अंतरक बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगी ।

6. (क) प्रभावी तारीख से ही इस आदेश के निबंधनानुसार अंतरिती बैंक में अंतरक बैंक के संपूर्ण उपक्रम के अंतरण और निहित किए जाने के प्रतिफल स्वरूप अंतरिती बैंक इस आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए और बिना किसी अगले आवेदन, कार्य या विलेख के सभी लागू विधियों या विनियमों के अनुसार अंतरिती बैंक की पूंजी में पूर्णतया समादत्त रूप में अंतरक बैंक के सदस्यों को प्रत्येक एक रुपए अंकित मूल्य के बाइस साधारण शेयर अंतरक बैंक में अंतरिती बैंक शेयर धारकों द्वारा धारित प्रत्येक दस रुपए के अंकित मूल्य के प्रत्येक दस शेयरों के लिए निर्गमित और आबंटित करेगा(जिसे इसमें इसके पश्चात् शेयर विनियम अनुपात कहा गया है) जिसके अंतर्गत अंतरिती बैंक और उसके नामनिर्देशिती (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् अन-अंतरिती बैंक शेयर धारक कहा गया है) नहीं हैं, जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर और निक्षेपागार अभिलेखों में इस आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् रिकार्ड तारीख कहा गया है) के जारी किए जाने के पश्चात् अंतरिती बैंक के केन्द्रीय बोर्ड या उसकी कार्यकारी समिति द्वारा नियत तारीख को अंतरक बैंक के सदस्यों के रूप में अभिलिखित हैं परंतु -

- (i) जब अंतरक बैंक का अन-अंतरिती बैंक शेयर धारक अंतरिती बैंक में साधारण शेयर प्रभाग का हकदार बन जाता है तो अंतरिती बैंक प्रभाजित शेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा परंतु अंतरिती बैंक द्वारा पहले से ही अवधारित किए गए शेयरों के मूल्यांकन के अनुसार ऐसे शेयर धारक को ऐसी प्रभाजित शेयर के मूल्य के बराबर नकद देगा ।
- (ii) प्रभावी तारीख के पश्चात् अंतरिती बैंक में शेयर अंतरक या अंतरिती को उद्भूत होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रभावी तारीख या रिकार्ड तारीख के तत्पश्चात् अंतरिती बैंक में ऐसे शेयरों के अंतरण को प्रभावशील बनाने के लिए जैसे रिकार्ड तारीख को रजिस्ट्रीकृत धारक परिवर्तन क्रियाशील थे, यदि रिकार्ड तारीख को किसी अन-अंतरिती बैंक शेयर धारक के कुछ लंबित शेयर अंतरण हों, रखे हुए या बकाया, समुचित मामलों में केन्द्रीय बोर्ड या अंतरिती बैंक की कोई समिति सशक्त होगी ।

(ख) उपरोक्त उप पैरा (क) के निबंधनानुसार, प्रभावी तारीख से ही, अंतरिती बैंक के निर्गमित शेयर अन-अंतरिती बैंक शेयर धारकों के अन-अंतरिती बैंक के विद्यमान शेयरों के समरूप लागू विनियमों के अद्यधीन, लाभांश मतदान अधिकार और अन्य सभी बातों के लिए बैंक करेंगे, अंतरिती बैंक के विद्यमान साधारण शेयर जहां व्यापार के लिए सूचीबद्ध या सम्मिलित होते हैं, भारत में संबंधित स्टाक एक्सचेंज में व्यापार के लिए सूचीबद्ध या सम्मिलित होंगे ।

(ग) प्रभावी तारीख से ही-

(i) उप पैरा (क) के उपबंधों के अनुसरण में , अन-अंतरिती बैंक शेयर धारकों या उनके नामनिर्देशिती को निर्गमित अंकित शेयर मूल्य की सीमा तक अंतरिती बैंक की शेयर पूंजी में वृद्धि होगी ।

(ii) अंतरक बैंक की संपूर्ण शेयर पूंजी बिना किसी अगले कार्य, विलेख या लिखत के रद्द हो जाएंगे और ऐसे शेयरों को व्यक्त करने वाले शेयर प्रमाणपत्र, बिना किसी अगले कार्य, विलेख या लिखत के स्वतः रद्द, निर्वापित समझे जाएंगे और किसी प्रभाव के नहीं होंगे ।

(iii) भारत में स्टाक एक्सचेंजों में अंतरक बैंक के शेयरों, जहां व्यापार के लिए सूचीबद्ध या सम्मिलित किए गए हैं, को सूची से निकाल दिया जाएगा:

परंतु रिकार्ड तारीख को ही अंतरक बैंक के शेयरों का व्यापार नहीं रहेगा।

(iv) अंतरक बैंक के पूर्णकालिक निदेशक, जिसके अंतर्गत प्रबंध निदेशक भी हैं, बिना किसी अगले कार्य, लिखत या विलेख के, पद पर नहीं रहेंगे और अंतरक बैंक का निदेशक बोर्ड विघटित हो जाएगा।

7. अंतरक बैंक का प्रत्येक स्थायी अधिकारी या अन्य स्थायी और नियमित कर्मचारी (निदेशक बोर्ड और कार्यकारी न्यासियों के सिवाय) प्रभावी तारीख से ठीक पहले अंतरक बैंक में नियोजित परिवीक्षा पर अधिकारी या कर्मचारी प्रभावी तारीख से ही, अंतरिती बैंक में, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिनका अनुमोदन अंतरिती बैंक के बोर्ड द्वारा किया जाए, अपने पद को धारित करेगा या उसमें सेवा करेगा और अंतरिती बैंक के, यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी के रूप में कार्य करेगा।

परंतु यह कि प्रभावी तारीख को अंतरक बैंक के अधिकारियों या कर्मचारियों को जो कुल वेतन और भत्ते प्रस्तावित किए जाएंगे वे अंतरक बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल वेतन और भत्तों से कम नहीं होंगे।

8. इस आदेश को जारी करने के पश्चात् अंतरक बैंक के स्थायी और नियमित अधिकारियों या स्थायी और नियमित कर्मचारियों को अंतरिती बैंक द्वारा लिखित में नियोजन का प्रस्ताव दिया जाएगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विकल्प पत्र" कहा गया है) और जहां अंतरक बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी विकल्प पत्र, विकल्प का प्रयोग करने के लिए, देने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, दिए गए किसी विकल्प का प्रयोग नहीं करता है वहां ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के संबंध में यह माना जाएगा कि वह अंतरिती बैंक की सेवा में बने हुए हैं।

9. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अंतरक बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारियों की सेवाओं का अंतरण कर देने से ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी उक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन किसी प्रतिकर के हकदार नहीं होंगे तथा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसे दावे को ग्रहण नहीं किया जाएगा।

10. ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जो प्रभावी तारीख से पहले सेवानिवृत्त हो गए या जिन्होंने प्रभावी तारीख को अंतरिती बैंक की सेवा पदग्रहण करने का विकल्प नहीं दिया है और अंतरक बैंक से कोई फायदा, अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त करने के हकदार है वे अंतरिती बैंक से ऐसे फायदे, अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त करने के हकदार होंगे।

परंतु अंतरक बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी जो प्रभावी तारीख से अंतरिती बैंक से नहीं जुड़ने के विकल्प को चुनता है, छंटनी या अन्यथा (जिसके अंतर्गत पद हानि या नियोजन या अंतरक बैंक के साथ किए गए नियोजन की किसी संविदा की समय पूर्व समाप्ति भी है) के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

11. अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के लिए अंतरक बैंक और यथास्थिति, सृजित, स्थापित या गठित अन्य निकाय की भविष्य निधि, उपदान निधि या पेंशन निधि या कोई अन्य निधियां अंतरिती बैंक के पास बनी रहेगी और भविष्य निधि, उपदान निधि या पेंशन निधि या कोई अन्य निधियों को आय-कर या अन्य कर छूट, यदि कोई हो, दी जाती है, तब ऐसी छूट अंतरिती बैंक को लागू बनी रहेगी।

12. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विनियमों या ज्ञापन या अंतरक बैंक के संगम अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा अध्यक्ष, न्यासी, कार्यपालक न्यासी या कोई अन्य व्यक्ति जो अंतरक बैंक के कारबार और कार्य का संपूर्ण या पर्याप्त भाग का प्रबंध करने का हकदार है वह, यथास्थिति, अंतरक बैंक या अंतरिती बैंक से पद हानि या उसके द्वारा अंतरक बैंक के साथ किए गए नियोजन की किसी संविदा के समयपूर्व समाप्त हो जाने के लिए कोई प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

13. अंतरिती बैंक, अपने केन्द्रीय बोर्ड या अपनी कार्यपालिका समिति के माध्यम से, ऐसे निदेश दे सकेगा जो इस आदेश के निर्वचन या अर्थ के बारे में उद्भूत होने वाली कठिनाइयों या शंकाओं के निवारण हेतु उसके सम्यक् और पूर्ण कार्यान्वयन के लिए इस आदेश को कार्यान्वित करने और उससे संबद्ध अन्य मामलों के दौरान उद्भूत हो सकने वाली किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, आवश्यक समझे।

[फा.सं. 7/73/2015-बीओए]

मो. मुस्तफा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2017

G.S.R. 158 (E).— Whereas, the State Bank of India (hereinafter referred to as the **Transferee Bank**), with the sanction of the Central Government and in consultation with Reserve Bank of India, has entered into negotiations for acquiring, by way of amalgamation, the business including the assets and liabilities of the State Bank of Mysore (hereinafter referred to as the **Transferor Bank**);

And, whereas, the terms and conditions relating to the acquisition have been agreed upon by the Central Board of the Transferee Bank and the Board of the Transferor Bank in the form of a Scheme.

And whereas, the Reserve Bank has approved the terms and conditions relating to such acquisition agreed upon, by the Transferor Bank and the Transferee Bank, and forwarded the same to the Central Government for its sanction;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 35 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, by the following order, accords its sanction, namely :-

1. (1) This Order may be called the Acquisition of State Bank of Mysore Order, 2017.
(2) It shall come into effect on 1st April, 2017(hereinafter referred to as the effective date).
2. On and from the effective date, the undertaking of the Transferor Bank as it stood immediately before the effective date shall, without any further act, instrument or deed, stand transferred to, and vest in, the Transferee Bank.
3. The undertaking of the Transferor Bank which is transferred to, and will vest in, the Transferee Bank on and from the effective date shall be deemed to include all business, assets, rights, powers, authorities, licenses, permits, approvals, permissions, incentives, loans, subsidies, concessions, grants, liberties, special status' and other privileges and all properties namely, movable and immovable, real and personal, corporeal and incorporeal, goodwill, copyright, all rights under the intellectual property etc. in possession or reservation, present or contingent of whatever nature and wheresoever situated, including lands, commercial or residential premises, fixtures, vehicles, cash balances, deposits, foreign currencies, disclosed and undisclosed reserves, reserve fund, special reserve fund, benevolent reserve fund, any other fund, stocks, investments, shares, dividends, bonds, debentures, security, management of any industrial concern, loans, advances and guarantees given to industrial concerns, other tenancies, leases and book-debts and all other rights and interest arising out of such property as were immediately before the effective date in the ownership, possession or power of the Transferor Bank within or outside India, all books of account, registers, records and documents relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind within or outside India then subsisting of the Transferor Bank whether secured or unsecured, along with any charge, encumbrance, lien or security thereon or in respect thereof.
4. All contracts, deeds, bonds, guarantees, agreements, assurances, powers-of-attorney and other instruments of whatsoever nature and working arrangements subsisting immediately before the effective date shall be as of full force and effect against or in favour of the Transferee Bank and enforceable as fully and effectually as if, instead of the Transferor Bank, the Transferee Bank had been named therein or had been a party thereto and it shall not be necessary to obtain the consent of any third party or other person who is a party to any of the aforesaid instruments or arrangements to give effect to the provisions of this paragraph.
5. Any proceeding or cause of actions, suits, decrees, recovery certificates, appeals and all other legal proceedings pending or existing immediately before the effective date before any court or tribunal or any other authority (including, for the avoidance of doubt, an arbitral tribunal), by or against the Transferor Bank may, as from the Effective Date, be continued and enforced by or against the Transferee Bank in which the Transferor Bank has vested by virtue of this Order as it might have been enforced by or against the Transferor Bank as if this Order had not taken effect and shall cease to be enforceable by or against the Transferor Bank.
6. (a) On and from the effective date, in consideration of the transfer and vesting of the entire undertaking of the Transferor Bank in the Transferee Bank in terms of this Order, the Transferee Bank shall, subject to the provisions of this Order, and without any further application, act or deed, issue and allot in accordance with all applicable laws or regulations, twenty two equity shares of the face value of One rupee each credited as fully paid up in the capital of the Transferee Bank to those members of the Transferor Bank excluding the Transferee Bank and its nominees (hereinafter referred to as the **Non-Transferee Bank Shareholders**) whose names are recorded in the Register of Members and the records of the depository as members of the Transferor Bank on a date to be fixed by the Central Board of the Transferee Bank or its Executive Committee after the issuance of this Order (hereinafter referred to as the **record date**) for every ten shares of the face value of Ten rupees each held by the Non-

Transferee Bank Shareholders in the Transferor Bank (hereinafter referred to as the **Share Exchange Ratio**):

Provided that-

- i. where a Non-Transferee Bank Shareholders' holding in the Transferor Bank is such that such shareholder becomes entitled to a fraction of an equity share of the Transferee Bank, the Transferee Bank shall not issue fractional share certificates to such shareholder but shall pay to such shareholder, cash equal to the value of such fractional share determined in accordance with the valuation of the shares of the Transferee Bank as has already been conducted;
 - ii. if there are any pending share transfers, whether lodged or outstanding, of any Non-Transferee Bank Shareholder on the Record Date, the Central Board or any committee of the Transferee Bank shall be empowered in appropriate cases, even subsequent to the record date or the effective date, to effectuate such a transfer of shares in the Transferee Bank as if such changes in registered holder were operative as on the record date in order to remove any difficulties arising to the transferor or transferee of the share in the Transferee Bank after the effective date.
- (b) The shares of the Transferee Bank issued to the Non-Transferee Bank Shareholders in terms of sub-paragraph (a) above will rank for dividend, voting rights and in all other respects, pari-passu with the existing shares of the Transferee Bank on and from the effective date and shall, subject to applicable regulations, be listed and/or admitted to trading on the relevant stock exchanges in India, where the existing equity shares of the Transferee Bank are listed or admitted to trading.
- (c) On and from the effective date.—
- (i) the share capital of the Transferee Bank shall stand enhanced to the extent of the face value of the shares issued to the Non Transferee Bank Shareholders or their nominees pursuant to the provisions of sub-paragraph (a);
 - (ii) the entire share capital of the Transferor Bank shall, without any further act, deed or instrument, stand cancelled and the share certificates representing such shares shall, without any further act, deed or instrument, be deemed to be automatically cancelled, extinguished and be of no effect;
 - (iii) the shares of the Transferor Bank shall be delisted from stock exchanges in India where they are listed or admitted to trading:

Provided that trading in the shares of the Transferor Bank shall cease on the record date;
 - (iv) the whole time directors, including the Managing Director, of the Transferor Bank shall, without any further, act, instrument or deed, cease to hold office and the Board of Directors of the Transferor Bank shall stand dissolved.
7. Every permanent and regular officer or other permanent and regular employee of the Transferor Bank (except the Board of Directors and Executive Trustees) and officers or employees on probation, serving in the employment of the Transferor Bank immediately before the effective date shall become, as from the effective date, an officer or, as the case may be, employee of the Transferee Bank and shall hold his office or service therein in the Transferee Bank on such terms and conditions as may be approved by the Central Board of the Transferee Bank and shall continue to work in accordance therewith:
- Provided that the pay and allowances offered to the employees or officers of the Transferor Bank shall not be less than the overall pay and allowances as they would have drawn in the Transferor Bank.
8. The permanent and regular officers or permanent and regular employees of the Transferor Bank shall be given offer of employment in writing (hereinafter referred to as the **option letter**) by the Transferee Bank after the issuance of this order and where an officer or other employee of the Transferor Bank does not exercise any option, within a period of fifteen days from the date of the option letter given for exercising the option, to be in the employment of the Transferee Bank, such officer or employee shall be deemed to have accepted to continue in the service of the Transferee Bank.
9. Notwithstanding anything contained in the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) or in any other law for the time being in force, the transfer of the services of any officers or other employees of the Transferor Bank to the Transferee Bank shall not entitle such officers or other employees to any compensation under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 or any other law for the time being in force and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or any other authority.
10. The officers or other employees who have retired before the effective date from the service of the Transferor Bank or opted not to join in the service of the Transferee Bank on and from the effective date and entitled to any

benefits, rights or privileges from Transferor Bank shall be entitled to receive such benefits, rights or privileges from the Transferee Bank:

Provided that any officers or employees of the Transferor Bank who opt not to join the service of the Transferee Bank on and from the effective date shall not be entitled to notice or compensation, whether for retrenchment or otherwise (including for loss of office or employment or premature termination of his contract of employment with the Transferor Bank).

11. The Provident Fund or the Gratuity Fund or the Pension Fund or any other funds of Transferor Bank and any other bodies created, established or constituted, as the case may be, for the officers or other employees shall continue with the Transferee Bank and any income tax or other tax exemption granted to the Provident Fund or the Gratuity Fund or the Pension Fund or any other funds, if any, shall continue to be applied to the Transferee Bank.
12. Notwithstanding anything contained in the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955) or the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (35 of 1959) or any other law for the time being in force or the regulations of the Transferor Bank or the Transferee Bank, the Chairman, the Trustees, Executive Trustees or any other person entitled to manage the whole or substantial part of the business and the affairs of the Transferor Bank shall not be entitled to any compensation against the Transferor Bank or Transferee Bank, as the case may be, for the loss of office or for the premature termination of any contract of employment entered into by him with the Transferor Bank.
13. The Transferee Bank, either through its Central Board or its Executive Committee, may give such directions as they may consider necessary to settle any questions or difficulty arising in relation to the meaning or interpretation of this Order, for due and complete implementation thereof, for removing any difficulties as may arise in the course of implementation of this Order and other matters connected therewith.

[F.No. 7/73/2015 -BOA]

Md. MUSTAFA, Jt. Secy.